



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052020-219667
CG-DL-E-30052020-219667

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942

No. 259]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISHTHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 338(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (12 वां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,

(क) नियम 12 के उपनियम (1) में—

(I) खंड (क) के परंतुक में,—

(i) मद (V) के, अंत में "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) मद (VII) और मद (VIII) का लोप किया जाएगा;

(II) खंड (गक) के परंतुक में, मद (VI) का लोप किया जाएगा;

(ख) परिशिष्ट II में, प्ररूप "सहज (आईटीआर-1)" प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3 प्ररूप "सुगम (आईटीआर-4)" प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6, प्ररूप आईटीआर-7 और प्ररूप आईटीआर-V" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

[अधिसूचना सं. 31/2020/फा. सं. 370142/32/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 329(अ) तारीख 28.5.2020 द्वारा संशोधन किया गया।